(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 39 /2015–2020
दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

विषयः एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना सं. 30/2015–20 दिनांक 27.08.2022 में निम्नानुसार संशोधन करती है;

क्र. सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	निर्यात नीति	नई नीतिगत शर्त
64	1101	गेहूं या मेसलिन फ्लोर (आटा), मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिसल्टेंट आटा	निषिद्ध	हालांकि, गेहूं के आटे का निर्यात अग्रिम प्राधिकार–पत्र और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों द्वारा अनुमत होगा। अग्रिम प्राधिकार–पत्र धारक द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियात्मक शर्तें प्रक्रिया पुस्तक में प्रदान की जाएंगी। 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों द्वारा गेहूं के आटे का निर्यात गेहूं के पूर्व–आयात की शर्त के अधीन होगा। गेहूं का आटा गेहूं की खेप के आयात की तारीख से 180 दिनों के भीतर निर्यात करना होगा। आयात वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन होगा और जॉब वर्क सहित किसी भी उद्देश्य के लिए आयातित कच्चे माल के हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी। गेहूं के आटे के निर्यात के उद्देश्य से घरेलू गेहूं की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सं. सांरणी

				पिसाई के उपरान्त सम्पूर्ण उत्पादन का निर्यात किया जाना है और पिसाई के उपरान्त अवशेष को देश में रखने की अनुमति नहीं होगी, मानदंड समिति द्वारा अनुमोदित अपव्यय को छोड़कर। निर्यात के समय, आयातित गेहूं के लिए प्रविष्टि बिल को सीमाशुल्क अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके सत्यापन के बाद ही निर्यात की अनुमति होगी।

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः** अधिसूचना संख्या 30/2015–20 दिनांक 27.08.2022 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि गेहूं के आटे के निर्यात को आयातित गेहूं से उत्पादित और घरेलू गेहूं की खरीद के बिना और यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अग्रिम प्राधिकार–पत्र के मद्दे और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों द्वारा अनुमति दी जाएगी।

संतोष कुमार सारंगी
14.10.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/180/010/एएम–23/ईसी/ई–33391 से जारी)